प्रार्थी श्री सवजी विपक्षी श्री थावरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र पत्रावली संख्या 01 सन् 2018

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
16/01/2018	पत्रावली प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. पर पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त उनवान का मामला आप न्यायालय में विचाराधीन होकर जवाब प्रार्थना पत्र के स्टेज पर होकर आज दिनांक 16/01/2018 की पेशी नियत थी, लेकिन प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से न्यायालय समय पर उपस्थित नही हो सके है जिससे प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता जानबूझ कर अनुपस्थित नही रहे है, कारण वाजिब व न्याय संगत है तथा मामला जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत है। इसी स्टेज पर प्रार्थना पत्र को नम्बर पर नही लिया गया तो प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मामले को पुन: नम्बर पर लिया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय समय पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मामले में आवाज के समय पर प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने से मामला अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हितों को	

मद्देनजर रखते हुए मूल प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा. दी. सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा मूल प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया जावे।

16/01/18

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कपासन